216

संख्या-477 / एक-10-2024-33 (46)/2018

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग- 10 लखनऊः दिनांक:22/03/2024

विषयः उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के लिये वित्तीय वर्ष 2023-24 में मानक मद-20- सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट रू0 500.00 लाख में से छठी किश्त के रूप में रूपये 83.33 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-1214 रा0आ0प्र0प्रा/2023-24, दिनांक 05.03.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-51 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80- सामान्य-800- अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 500.00 लाख में से छठी किश्त के रूप में रू0 83.33 लाख (रूपये तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	अवशेष धनराशि
1	सहायता अनुदान-सामान्य	500.00	416.65	83.33	0.02

	(गैर वेतन) 2245-80-800-06-00-20				
					(रूपये तिरासी लाख तैतीस हजार मात्र)

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।

(2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2024 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(3) वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2022 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान से प्रतिबद्ध मदों का व्यय वहन करने के पश्चात ही मितव्ययी मदों में उपयोग किया जायेगा।

(5) उक्त अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर- 369 - एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0 42 आई में शासन को उपलब्ध कराते हुये अगली किश्त की मांग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 83,33,000 (रुपये तिरासी लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245808000600 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यतूटर द्वारा उत्पन्न संख्या - E-5-314-X-2023-24-दिनांक 22.3.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

आज्ञा से,

Digitally Signed by राम केवल
Date: 22-03-2024 16:42:42
Reason: Approved

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-**477 (1)/एक-10-2024-33(46) / 2018 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0

3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2

7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-23/03/2024

प्रेषण संख्या:- 477
आवंटन आदेश संख्या:- 001-477
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	8333000 49998000	8333000 49998000
	योग	वर्तमान प्रगामी	8333000 49998000	8333000 49998000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तिरासी लाख तैंतीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ निन्यानवे लाख अठानवे हजार

(जान्हवी मोहन)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी